

**कार्यालय अधिशासी अभियन्ता**  
**वाह्य सहायतित परियोजना खण्ड,**  
**लो0नि0वि0, बहराईच**

पत्रांक: 243/1C/2023  
सेवा में,

दिनांक: 12/09/2023

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,  
उ0प्र0, लखनऊ।

**विषय:** विश्व बैंक पोषित कोर रोड नेटवर्क परियोजना अन्तर्गत गोला-शाहजहापुर मार्ग (एस0एच0-93) के चौड़ीकरण हेतु लखीमपुर में कि0मी0 0.000 से 49.000 तक चौड़ीकरण हेतु 1.998 हे0 आरक्षित वन भूमि एवं 47.1 हे0 संरक्षित वन भूमि अर्थात् कुल 49.098 हे0 वन भूमि तथा शाहजहापुर में कि0मी0 49.000 से 59.000 तक 8.000 हे0 संरक्षित वन भूमि अर्थात् कुल 57.098 हे0 वन भूमि गैर वानिकी प्रयोग हेतु एवं उस पर अवस्थित कुल 6275 वृक्षों/पौधों (दक्षिणी खीरी वन प्रभाग में 5458 एवं शाहजहापुर वन प्रभाग में 817 वृक्ष) के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

**संदर्भ:** 1. भारत सरकार का पत्रांक 8बी/यू0पी0/06/109/2016/एफ0सी0/221 दिनांक 30.06.2023  
2. आपका पत्रांक 12/11-सी-FP/UP/Road/13414/2015 दिनांक 04.07.2023,  
3. इस कार्यालय का पत्रांक 223/1सी/2023 दिनांक 11.08.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्रों के क्रम में अवगत कराना है कि आपके संदर्भित पत्रांक दि0 30.06.2023 के अनुपालन में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक लखनऊ मण्डल, उ0प्र0, लखनऊ का पत्रांक 362/14-10-4, लखनऊ दिनांक 25.07.2023, प्रभागीय वनाधिकारी दक्षिण खीरी वन प्रभाग खीरी में अपने पत्रांक 206/33-1 दिनांक 15.07.2023, कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तर खीरी वन प्रभाग/उप निदेशक (बफर जोन) दुधवा टाइगर रिजर्व लखीमपुर खीरी का पत्रांक 486/14-1 दिनांक 01.08.2023 तथा कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी वन एवं वन्य जीव प्रभाग शाहजहापुर ने अपने पत्रांक 407/14-1 दिनांक 10.08.2023 के द्वारा अनुपालन आख्या प्रेषित की है जिसकी छायाप्रति संलग्न है। यूजर एजेन्सी द्वारा उपरोक्त आख्या PARIVESH portal पर अपलोड कर दी गयी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त प्रस्ताव पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 2 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति (स्टेज-2) प्रदान करने हेतु भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ को अनुरोध करने की कृपा करें।

अधिशासी अभियन्ता,  
वाह्य सहायतित परियोजना खण्ड  
लो0नि0वि0, बहराईच

**प्रतिलिपि:** निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उक्त प्रस्ताव पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 2 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति (स्टेज-2) प्रदान करने की कृपा करें।
2. मुख्य अभियन्ता, वाह्य सहायतित परियोजना, लो0नि0वि0, लखनऊ।
3. अधीक्षण अभियन्ता, विश्व बैंक योजना वृत्त, लो0नि0वि0, लखनऊ।
4. श्रीमती ज्योति कटियार, सहायक अभियन्ता, वाह्य सहायतित परियोजना खण्ड, लो0नि0वि0, बहराईच को इस आशय से प्रेषित है कि संबंधित से संपर्क कर आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

अधिशासी अभियन्ता,  
वाह्य सहायतित परियोजना खण्ड  
लो0नि0वि0, बहराईच

# कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

पत्रांक:-

362 / 14-10-4, लखनऊ, दिनांक 26 जुलाई, 2023

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय:-

विश्वबैंक पोषित उ०प्र० कोर रोड नेटवर्क परियोजना के अन्तर्गत गोला-शाहजहाँपुर मार्ग (एस०एच०-93) के चौड़ीकरण हेतु लखीमपुर में 0.000 से 49.00 तक चौड़ीकरण हेतु 1.998 हे० आरक्षित वनभूमि एवं 47.10 हे० संरक्षित वनभूमि अर्थात् कुल 49.098 हे० वन भूमि तथा शाहजहाँपुर मे किमी० 49.000 से 59.000 तक 8.00 हे० संरक्षित वन भूमि अर्थात् कुल 57.098 हे० वनभूमि गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित कुल 6275 वृक्षों/पौधों (दक्षिण खीरी वन प्रभाग मे 5458 एवं शाहजहाँपुर वन प्रभाग में 817 वृक्ष) के पातन की अनुमति के सम्वन्ध में।

सन्दर्भ:-

भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र) की पत्र संख्या-8वी/यू०पी०/०६/109/2016/एफ०सी०/221 दिनांक-30.06.2023 एवं आपका पत्रांक-12/11-सी-FP/UP/Road/13414/2015 दिनांक 04.07.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम मे प्रभागीय वनाधिकारी दक्षिण खीरी ने अपने पत्रांक-206/33-1 दिनांक-15.07.2023 द्वारा निम्न प्रकार से आपत्तियों का निराकरण आख्या/अभिलेख उपलब्ध कराया गया है:-

| क्र०स० | आपत्ति                                                                                                                          | निराकरण आख्या                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | Status of plantation activity on the proposed CA land area between period 2017-2023 is still not clear this need clarification. | प्रभागीय वनाधिकारी, दक्षिण खीरी द्वारा अवगत कराया गया है कि चयनित क्षेत्र सैदापुर कक्ष सं० 04 का क्षेत्रफल 5.0 हे० में किसी प्रकार की वृक्षारोपण सम्वन्धी गतिविधि नहीं की गयी। चयनित क्षेत्र में उपरोक्त विषयक परियोजना से सम्वन्धित ही वृक्षारोपण कराया जायेगा। |

अतः अनुरोध है कि उक्त सम्वन्ध में अग्रेतर कार्यवाही करने की कृपा करे।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीया,

(रिणु सिंह)

अपर प्रधान मुख्य, वन संरक्षक /  
मुख्य वन संरक्षक,  
लखनऊ मण्डल उ०प्र०, लखनऊ

पत्रांक:-

/ उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि-प्रभागीय वनाधिकारी, दक्षिण खीरी वन प्रभाग को उनके पत्रांक-206/33-1 दिनांक-15.07.2023 के कम मे सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(रिणु सिंह)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक /  
मुख्य वन संरक्षक,  
लखनऊ मण्डल उ०प्र०, लखनऊ

# कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, दक्षिण खीरी वन प्रभाग

पत्रांक- 206/33-1, दिनांक: लखीमपुर-खीरी : 15/07/2023

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,  
लखनऊ मण्डल,  
उ०प्र० लखनऊ।

विषय :-

विश्व बैंक पोषित उ०प्र० कोर रोड नेटवर्क परियोजना अन्तर्गत गोला-शाहजहांपुर मार्ग (एस०एच०-९३) के चौड़ीकरण हेतु लखीमपुर में कि०मी० ०.००० से ४९.००० तक चौड़ीकरण हेतु १.९९८ हे० आरक्षित वनभूमि एवं ४७.१ हे० संरक्षित वनभूमि अर्थात् कुल ४९.०९८ हे० वनभूमि तथा शाहजहांपुर में कि०मी० ४९.००० से ५९.००० तक ८.००० हे० संरक्षित वनभूमि अर्थात् कुल ५७.०९८ हे० वनभूमि गैर वास्तविकी प्रयोग हेतु एवं उस पर अवस्थित कुल ८२७५ वृक्षों/पीछों (दक्षिण खीरी वन प्रभाग में ६४५८ वृक्ष एवं शाहजहांपुर वन प्रभाग में ८१७ वृक्ष) के पालन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :-

भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र) की पत्र संख्या : ८बी/यू०पी०/०६/१०९/२०१६/एफ०सी०/२२१ दिनांक ३०.०६.२०२३ पर मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उ०प्र० लखनऊ की पृष्ठांकन संख्या : १२/११-सी-FP/UP/Road/13414/2015 दिनांक ०४.०७.२०२३

महोदया,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के द्वारा विषयक परियोजना में एक विन्दु की लगाई गई आपत्ति का निराकरण निम्नवत् प्रेषित है :-

| क्र०सं० | भारत सरकार द्वारा लगायी गयी शर्त                                                                                                 | अनुपालन आख्या                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १       | २                                                                                                                                | ३                                                                                                                                                                                                                                          |
| १       | Status of plantation activity on the proposed CA land area between period 2017-2023 is still not clear. This need clarification, | विषयक परियोजना में क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र सैदापुर कं० ४ क्षेत्रफल ५.०० हे० में किसी प्रकार की वृक्षारोपण सम्वन्धी गतिविधि नहीं की गयी। चयनित क्षेत्र में उपरोक्त विषयक परियोजना से सम्वन्धित ही वृक्षारोपण कराया जायेगा। |

अतः आख्या अग्रतर कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

भवदीय

(संजय कुमार बिश्वाल)  
प्रभागीय वनाधिकारी  
दक्षिण खीरी वन प्रभाग

पत्रांक : 206 / उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि :- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उ०प्र० लखनऊ को सूचनाार्थ प्रेषित।

(संजय कुमार बिश्वाल)  
प्रभागीय वनाधिकारी  
दक्षिण खीरी वन प्रभाग

# कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, वन एवं वन्य जीव प्रभाग, शाहजहांपुर।

पत्रांक 407/14-1 शाहजहांपुर

दिनांक 10/08/2023

सेवा में,

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,  
वन एवं वन्य जीव बरेली वृत्त, बरेली

विषय :- विश्व बैंक पोषित उ०प्र० कोर रोड नेटवर्क परियोजना के अन्तर्गत गोला-शाहजहांपुर मार्ग (एस०एच०-९३) के चौड़ीकरण हेतु लखीमपुर में ०.०० से ४९.०० तक चौड़ीकरण हेतु १.९९८ हे० आरक्षित वनभूमि एवं ४७.१ हे० संरक्षित वनभूमि कुल ४९.०९८ हे० वन भूमि तथा शाहजहांपुर में किमी० ४९ से ५९ तक ८.०० हे० संरक्षित वनभूमि अर्थात् कुल ५७.०९८ हे० वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस अवस्थित ६२७५ वृक्षों/पौधों (दक्षिण खीरी वन प्रभाग में ५४५८ वृक्ष एवं शाहजहांपुर वन प्रभाग में ८१७ वृक्ष) के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में आनलाइन प्रस्ताव संख्या FP/UP/Road/13414/2015

सन्दर्भ :- भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय का पत्रांक ८वी/यू०पी०/०६/१०९/२०१६/एफ०सी०/२०२१ दिनांक ३०-०६-२०२३ एवं मुख्य वन संरक्षक नोडल अधिकारी का पत्रांक १२/११-सी० दिनांक ०४-०७-२०२३

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में दिये गये निर्देशानुसार विषयक प्रकरण में प्रभाग स्तर से वांछित विन्डु सं०-१ की सूचना निर्धारित प्रपत्र में निम्नवत है एवं ०३ प्रतियों में संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

| Condition No. | Conditions                                                                                                                        | Status of Compliance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1             | Status of plantation activity on the proposed CA land area between period 2017-2023 is still not clear. This needs clarification. | उप निदेशक बफर जोन दुधवा टाइगर रिजर्व लखीमपुर खीरी के पत्रांक ४८६/१४-१ दिनांक १-०८-२०२३ द्वारा अवगत कराया गया है कि विषयक परियोजना में क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु चयनित वन क्षेत्र सुल्तानपुर (गुलराही) का क्षेत्र १६ हे० में किसी भी प्रकार की वृक्षारोपण सम्बन्धी गतिविधि नहीं की गयी है। चयनित क्षेत्र में उपरोक्त विषयक परियोजना से सम्बन्धित वृक्षारोपण कराया जायें। पत्र की प्रति संलग्न है। (संलग्नक-१) |

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(प्रखर गुप्ता)

प्रभागीय वनाधिकारी,  
वन एवं वन्य जीव प्रभाग,  
शाहजहांपुर।

पत्रांक / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- १- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ० प्र० लखनऊ।
- २- अधिशासी अभियन्ता, वाहय सहायित परियोजना खण्ड लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।

(प्रखर गुप्ता)

प्रभागीय वनाधिकारी,  
वन एवं वन्य जीव प्रभाग,  
शाहजहांपुर।

कामोलीय प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तर खीरी वन प्रभाग /  
उप निदेशक (बफर जोन), बुधवा टाहगर रिजर्व, लखीमपुर-खीरी।

पत्रांक-४६/१४-१

दिनांक: लखीमपुर-खीरी:

आज्ञा सं. ४१/४/२०२३

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,  
वन एवं वन्य जीव प्रभाग,  
शाहजहापुर।

विषय :-

विश्व बैंक पोषित उ०प्र० ग्रीन रीड मैटमक परियोजना के अन्तर्गत गीला-शाहजहापुर मार्ग (ए०एच०-०३) के चौकीकरण हेतु लखीमपुर में ०.०० से ४९.०० तक चौकीकरण हेतु १.००८ हे० आरक्षित वनभूमि एवं ४७.१ हे० आरक्षित वनभूमि कुल ४९.००८ हे० वन भूमि तथा शाहजहापुर में कि०मी० ४९ से ६९ तक ०.०० हे० आरक्षित वन भूमि अर्थात् कुल ६७.००८ हे० वन भूमि के गैर वाणिज्यिक प्रयोग एवं उस आरक्षित ६७०८ वृक्ष/पौधों (दक्षिण खीरी वन प्रभाग में ६४६० वृक्ष एवं शाहजहापुर वन प्रभाग में ६१७ वृक्ष) के पालन की अनुमति के सम्बन्ध में ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या PPL/Up/Read/13414/15

सन्दर्भ :-

भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय का पत्रांक ४६/यू०पी०/०६/१०९/२०१६/एफ०सी०/२२१ दिनांक ३०.०६.२०२३ एवं मुख्य वन संरक्षक नोडल अधिकारी का पत्रांक १२/११-सी दिनांक ०४.०७.२०२३ एवं आपका पत्रांक-११६/१४-१ दिनांक १०.०७.२०२३।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के द्वारा विषयक परियोजना में विन्तु सं० ०१ में लगाई गयी आपत्ति का निराकरण निम्नवत् प्रेषित है :-

| भारत सरकार द्वारा लगायी गयी आपत्ति                                                                                                | अनुपालन आख्या                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Signs of plantation activity on the proposed CA Land area between period 2017-2023 is still not clear. This is for clarification. | विषयक परियोजना में हालिपूर्वक वृक्षारोपण हेतु चयनित वन क्षेत्र बुल्लानपुर (गुलवाही) का क्षेत्रफल १०.०० हे० में किसी प्रकार की वृक्षारोपण सम्बन्धी गतिविधि नहीं की गयी है। चयनित क्षेत्र में उपरोक्त विषयक परियोजना से सम्बन्धित वृक्षारोपण कक्षाया जायेगा। |

भवदीय,

(सीरीष साहाय)

प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तर खीरी वन प्रभाग /  
उप निदेशक, बफर जोन, बुधवा टाहगर रिजर्व,  
लखीमपुर-खीरी।

पत्रांक-५०६/उपनिर्दिशित।

प्रतिनिधि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ को सम्बन्धित पत्र के माध्यम से आवश्यक सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिनिधि अधिशाही अभियन्ता, बाह्य सहायता परियोजना खण्ड लो०नि०वि० विभाग लखनऊ को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

०१८

(सीरीष साहाय)

प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तर खीरी वन प्रभाग /  
उप निदेशक, बफर जोन, बुधवा टाहगर रिजर्व,  
लखीमपुर-खीरी।